कर्तब दिखाने वाले पांच पशुओं के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना*

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1998

सा.का.नि. 619(अ) – सिविल रिट याचिका सं.890/91 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 21.8.1997 के अपने आदेश से निदेश दिया है कि 'केन्द्रीय सरकार, तारीख 2.3.1991 की अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सकती है' और 'ऐसी सामग्री जो इसके पास उपलब्ध हो अथवा किसी प्रामाणिक अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अभिकरण अथवा विशेषज्ञ समिति, जिसे वह नियुक्त करना पसंद करती है, के माध्यम से इकट्ठा कर सकती है, पर विचार कर सकती है';

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने किसी अधिप्रमाणित अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अधिकरण/व्यक्तियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त सामग्री को ध्यान में रखते हुए तारीख 2.3.1991 की अधिसूचना सा.का.नि. 252 पर फिर से विचार करने हेतु वन अपर महानिरीक्षक (वन्य प्राणी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है,

उक्त समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तारीख 2.3.1991 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.252 तथा तारीख 7.8.1991 की सं.सा.का.नि. 485 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पशुओं को तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:–

1.भालू, 2. बन्दर, 3. बाघ, 4. तेंदुआ, और 5. शेर।

[फा.सं.9–9/7–ए, डब्ल्यू]

डॉ.एम.एस.अहमद, संयुक्त सचिव

---

* भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 2, क्रमांक सं. ओ. 270 (ई), दि. 14.10.1998 में प्रकाशित।